भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2040
06 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष सेवाओं की अवसंरचना

2040. श्री हरीभाई पटेल:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में आयुष सेवाओं की अवसंरचना और उनकी सुलभता में सुधार करने के लिए कोई उपाय किए हैं अथवा करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके गुजरात सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इसके क्या कारण हैं;
(ग) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान आयुष प्रणाली और औषधियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत उठाए गए कदमों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): आयुष मंत्रालय गुजरात सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना को क्रियान्वित कर रहा है और विभिन्न आयुष चिकित्सा पद्धतियों के समग्र विकास और संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों में आयुष सेवाओं के बुनियादी ढांचे में सुधार और इसकी पहुंच भी शामिल है। मिशन अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रावधान करता है:-

i. मौजूदा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करके आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का संचालन, जिसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) का नाम दिया गया है।
ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंदों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना।
iii. मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन।
iv. मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास पर) के लिए भवन का निर्माण/उन क्षेत्रों में नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण, जहां कोई आयुष सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
v. 10/30/50 बिस्तरों तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना।
vi. राजकीय आयुष अस्पतालों, राजकीय औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को जरूरी औषधियों की आपूर्ति।
vii. आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम।
viii. उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।
ix. आयुष स्नातक-पूर्व संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास/पीजी/फार्मेसी/पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करना।

एनएएम के तहत, राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, आयुष मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान एसएएपी की विभिन्न अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 227038.95 लाख रुपये की

धनराशि जारी की है। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत/आबंटित/उपयोग की गई धनराशि की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **संलग्नक** पर दी गई है।

*****

संलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएएम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2021-22		2022-23		2023-24		कुल	
		जारी	उपयोग की गई	जारी	उपयोग की गई	जारी	उपयोग की गई	स्वीकृत	उपयोग की गई
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	296.06	295.44	142.39	142.39	407.29	387.65	1097.54	1077.29
2	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.40	358.79
3	अरुणाचल प्रदेश	180.85	180.85	402.04	402.04	1186.04	1016.60	2447.02	2277.58
4	असम	639.52	507.91	1011.77	908.67	3471.45	2883.72	5469.89	4647.45
5	बिहार	1686.08	1686.08	0.00		1161.06	194.66	3363.67	1913.09
6	चंडीगढ़	94.86	94.05	189.73	155.02	226.32	210.86	706.73	655.74
7	छत्तीसगढ़	841.31	735.01	0.00	0.00	2151.43	1171.44	5683.80	3874.80
8	दादरा व नागर हवेली और दमण व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	408.45	275.92	408.45	275.92
9	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	गोवा	218.99	218.99	142.29	105.37	628.30	491.63	1055.57	881.97
11	गुजरात	466.93	450.55	1908.62	794.41	2961.42	920.27	5580.98	2354.31
12	हरियाणा	647.70	610.23	1219.91	1157.65	3026.59	1782.27	7928.62	6351.59
13	हिमाचल प्रदेश	1261.80	1178.08	3873.58	3719.97	3659.22	1927.83	9289.54	7320.82
14	जम्मू-कश्मीर	1313.11	1245.61	4895.09	4699.57	7510.36	7079.61	16004.31	15259.56
15	झारखंड	1309.77	1309.77	7752.57	7752.57	2390.42	1976.57	11452.76	11038.90
16	कर्नाटक	1821.46	1776.49	1714.09	1336.24	5031.54	2602.21	10751.46	7808.33
17	केरल	1153.39	1153.39	4399.83	4122.00	7989.40	6872.35	15880.20	14470.33
18	लद्दाख	187.45	180.89	72.27	72.27	47.32	41.77	307.04	294.93
19	लक्षद्वीप	64.26	64.26	116.32	116.32	332.01	270.51	532.20	470.28
20	मध्य प्रदेश	3123.20	3116.93	1716.00	1649.90	6120.00	5132.34	16567.83	15399.39
21	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	2235.54	1237.81	2235.54	1237.81
22	मणिपुर	170.04	126.41	1723.00	1538.20	0.00	0.00	2464.76	2215.09
23	मिजोरम	259.08	259.08	117.27	117.27	1057.86	980.51	2091.94	2014.59
24	मेघालय	609.78	609.78	796.84	796.84	1722.60	1293.22	3377.19	2947.81
25	नागालैंड	232.27	232.27	495.78	495.78	1016.97	926.33	2999.91	2909.26
26	ओडिशा	1075.38	1065.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1792.02	1760.14
27	पुडुचेरी	200.27	199.03	623.95	615.88	197.08	146.16	1068.97	1008.73

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2021-22		2022-23		2023-24		कुल	
		जारी	उपयोग की गई	जारी	उपयोग की गई	जारी	उपयोग की गई	स्वीकृत	उपयोग की गई
28	पंजाब	527.28	527.28	0.00	0.00	109.85	58.85	726.90	660.54
29	राजस्थान	3189.00	2940.43	0.00	0.00	3731.51	1795.87	9196.91	6927.25
30	सिक्किम	99.30	99.30	626.06	626.06	492.37	492.37	1568.17	1568.17
31	तमिलनाडु	2348.27	2147.03	2428.69	1879.99	6635.76	4669.45	12029.30	9313.06
32	तेलंगाना	3132.25	3044.95	0.00	0.00	1225.17	852.40	4357.42	3897.35
33	त्रिपुरा	138.71	127.32	1030.90	1004.45	566.99	375.47	2006.68	1777.32
34	उत्तर प्रदेश	13809.72	13601.37	14437.60	13723.78	12418.60	10779.83	51039.77	48478.85
35	उत्तराखंड	2622.50	2622.50	1855.80	1855.80	3234.38	2713.15	8369.13	7847.91
36	पश्चिमी बंगाल	2118.05	2115.78	1056.58	895.59	3379.39	2104.63	6801.36	5363.34
कुल		**45838.63**	**44522.37**	**54748.94**	**50684.02**	**86732.67**	**63664.23**	**227038.95**	**196658.26**